[2007] 11 एस.सी.आर. 663

श्रीमती सीमा

बनाम

अश्विनी कुमार

25 अक्टूबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950; सातवीं अनुसूची सूची III की प्रविष्टियाँ 5 और 30- विवाह का अनिवार्य पंजीकरण- राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार को मौजूदा नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश- केंद्र सरकार को एक व्यापक कानून बनाने का भी निर्देश - कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुपालन की रिपोर्टिंग- अभिनिर्धारितः जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई है उन्हें तुरंत अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है।

इस न्यायालय द्वारा तत्काल मामले में अपने निर्णय दिनांक 14.2.2006 में यह निर्देश दिया गया था कि सभी विवाह अनिवार्य रूप से पंजीकृत किए जाएंगे और इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.7.2006 के संदर्भ में, मामले को अनुपालन के लिए रखा गया है।

न्याय मित्र ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दायर तथ्यात्मक रिपोर्ट और हलफनामों का संदर्भ दिया है, और इस न्यायालय का ध्यान दिलाया है कि कुछ राज्यों ने हिंदु विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया है, लेकिन अन्य धर्मों के संबंध में ऐसा नहीं किया गया है। .

न्यायालय द्वारा प्राप्त अनुपालन रिपोर्टों पर विचार करते हुए,

अभिनिर्धारित: 1.1. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा राज्यों द्वारा निर्देश का अनुपालन किया है। जहां तक पश्चिम बंगाल राज्य का संबंध है, राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विवाह को अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य बनाने और ऐसा न करने पर परिणाम उपलब्ध करने के उद्देश्य से दिनांक 22.12.2006 को पश्चिम बंगाल विशेष विवाह नियम, 1969 और हिन्दू विवाह अधिनियम में बदलाव किए गए है। ईसाई और पारसी विवाह लागू कानूनों के अनुसार अनिवार्य पंजीकरण के माध्यम से संपन्न होते हैं। इसलिए अलग से कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। इस संबंध में जहाँ तक अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सम्बन्ध है उनमें से कुछ ने कोई हलफनामा दायर नहीं किया है और जहां तक दूसरों का सम्बन्ध है निर्देश की पालना हिन्दूओं की हद तक की गई है। दिनांक 24.02.2006 को

पारित आदेश के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की गई है। अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2006 को उन राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशाेंं को जिनके द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 14.02.2006 की पालना नहीं की गई है उन्हें यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह निर्देशों की पालना करें। [पैरा 10] [669- सी, डी, ई, एफ]

1.2. अनुपालन को इंगित करने वाले हलफनामे सुनवाई की अगली तारीख से पहले दायर किए जाएंगे। [पैरा 12] [669- जी]

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या ई 291/2005-

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 के अंतर्गत वैवाहिक वाद संख्या 104/2004 बउनवानी अश्वनी कुमार बनाम सीमा जो सुश्री रेखा रानी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिल्ली, जिला जगधारी यमुना नगर हरियाणा में लंम्बित की अन्तरण बाबत् याचिका।

एफ रनजीत कुमार, (ए.सी.), के.ए. देवान, बलराज देवान, धीरज के. शामी, मुकेश वर्मा, मनीष शंकर, एम.आर. समशाद, परवेश ठाकुर, यश पाल ढींगरा, तारा चंद्र शर्मा, नीलम शर्मा, राजीव शर्मा, गोपाल सिंह, रितुराज बिश्वास, एम. अंकुल राज, अनुकुल राज, अजय शर्मा, एस.डब्ल्यू.ए. कादरी, जी.वी. राव, कमलेन्द्र मिश्रा, कामिनी जायसवाल, सुपर्णा श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, नवीन कुमार सिंह, मुकुल सूद, शास्वत गुप्ता, अरूणेश्वर

गुप्ता, संजय आर.हेगडे, अमित केआर. चावला, अविजीत रा ॅय (कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप के लिए), जयश्री आनंद, के.के. महालिक, कुलदीप सिंह, जन कल्याण दास, अविजीत भुजबल, के.एन. मधुसूदनन, आर. सतीश, (एनसीटी दिल्ली के लिए) डी.एस. महरा, सुनीता शर्मा, ए. मारियारपुथम, अरुणा माथुर (अर्पुथम, अरुणा एंड कंपनी के लिए) हेमंतिका वाही, पिंकी बेहरा, यू. हजारिका, सत्य मित्रा, सुमिता हजारिका, केएच नोबिन सिंह, तरुण जामवाल, डेविड राव, पी.वी. दिनेश, बी.के. संदीप, वी.जी. प्रगासम, एस. वलिनायगम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम, बी.एस. बांठिया, नवीन शर्मा, रंजन मुखर्जी, एस.सी. घोष, जे.एस. अत्री, मंजीत सिंह, हरिकेश सिंह, टी.वी. जॉर्ज, अनिल श्रीवास्तव, रितु राज, नंदिनी गोरे, के.आर. शशिप्रभु, डी. भारती रेड्डी। उपस्थित पक्षों के लिए अनिल कटियार, एस.एस. शिंदे, आशा जी. नायर।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. दिनांकित 23.07.2006 के आदेश के अनुसार मामला हमारे विचारार्थ रखा गया। निर्णय दिनांकित 14.2.2006 द्वारा श्रीमती सीमा बनाम अश्वनी कुमार। [2006] 2 एससीसी 578 के रूप में रिपोर्ट किया गया। यह निर्देश दिया गया कि सभी विवाह अनिवार्य रूप से पंजीकृत किए जाएंगे। उक्त आदेश में अन्य बातों के साथ- साथ यह ध्यान दिया गयाः

"यह बताया गया है कि देश के कई हिस्सों में अभी भी प्रचलित बाल विवाह की रोकथाम के लिए विवाह का अनिवार्य पंजीकरण सही दिशा में एक कदम होगा। भारत के संविधान में, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') सातवीं अनुसूची की सूची II (समवर्ती सूची) प्रविष्टि 5 और 30 में निम्नानुसार प्रावधान है।

5. विवाह और तलाक; शिशु और नाबालिग; गोद लेना; वसीयत; निर्वसीयत और उत्तराधिकार; संयुक्त परिवार और विभाजन; सभी मामले जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाही में पक्षकार इस संविधान के शुरू होने से ठीक पहले अपने व्यक्तिगत कानून के अधीन थे।

30. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े।"

2. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मृत्यु और जन्म के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े प्रविष्टि 30 के अंतर्गत आते हैं। विवाह का पंजीकरण "महत्वपूर्ण सांख्यिकी" अभिव्यक्ति के दायरे में आएगा।

3. विवाह के पंजीकरण के संबंध में प्रासंगिक कानूनों के संकलन से, ऐसा प्रतीत होता है कि चार क़ानून हैं जो विवाह के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करते हैं। वे हैं: (1) बॉम्बे विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1953 (महाराष्ट्र और गुजरात पर लागू), (2) कर्नाटक विवाह (पंजीकरण और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1976, (3) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996, और (4) आंध्र प्रदेश अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2002 पांच राज्यों में मुस्लिम विवाहों के स्वैच्छिक पंजीकरण

के लिए प्रावधान बनाया जाना प्रतीत होता है। ये हैं असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मेघालय। असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935, उड़ीसा मुहम्मद विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1949 और बंगाल मुहम्मद विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1876" प्रासंगिक क़ानून हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार ने एक नीति की घोषणा की है जिसमें पंचायतों द्वारा विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण और जन्म और मृत्यु से संबंधित अपने रिकॉर्ड के रखरखाव की व्यवस्था की गई है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत, जो धर्म की परवाह किए बिना भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, प्रत्येक विवाह को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त विवाह अधिकारी द्वारा पंजीकृत किया जाता है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। उक्त अधिनियम के तहत, विवाह समारोह के तुरंत बाद दुल्हा और दुल्हन, कार्यवाहक पुजारी और गवाहों के हस्ताक्षर के साथ संबंधित चर्च के विवाह रजिस्टर में प्रविष्टियां की जाती हैं। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "हिंदू अधिनियम") की धारा 8 के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए कुछ प्रावधान मौजूद हैं। हालांकि यह अनुबंध करने वाले पक्षों के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वे या तो सब-रजिस्ट्रार के समक्ष विवाह संपन्न कर सकते हैं या पारंपरिक मान्यताओं के अनुरूप विवाह समारोह करने के बाद इसे पंजीकृत कर सकते हैं। हालाँकि, अधिनियम यह

स्पष्ट करता है कि रजिस्टर में प्रविष्टि न करने से विवाह की वैधता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। गोवा में, विवाह का कानून जो गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों में दिनांक 26.11.1911 से लागू है एवं निरन्तर प्रभाव में हैं। विवाह कानून के अनुच्छेद 45 से 47 के अधीन विवाह का पंजीयन अनिवार्य है और विवाह का प्रमाण आम तौर पर सिविल रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए रजिस्टर से प्राप्त विवाह प्रमाण पत्र की प्रस्तुती द्वारा होता है और सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त संबंधित सिविल रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है। विवाह के पंजीकरण के बारे में प्रक्रियात्मक पहलू पुर्तगाली (सिविल) संहिता के अनुच्छेद 1075 से 1081 में निहित हैं जो राज्य में समान नागरिक संहिता है। प्रतिवादी- गोवा राज्य की ओर से दायर हलफनामे में यह बताया गया है कि हिंदू अधिनियम उक्त राज्य में लागू नहीं है क्योंकि इसे गोवा, दमन और दीव कानून विनियम, 1962 या गोवा द्वारा दमन और दीव कानून संख्या 2 विनियम, 1963 जिसके द्वारा केंद्रीय अधिनियमों को राज्य की मुक्ति के बाद राज्य में विस्तारित किया जाता है, द्वारा राज्य में विस्तारित नहीं किया गया है। विवाह की प्रक्रिया राज्य में लागू नागरिक पंजीकरण संहिता (पुर्तगाली) में भी प्रदान की गई है। विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 भी विवाह के पंजीकरण का प्रावधान करता है।

4. उपरोक्त वर्णित अनुसार हिंदू अधिनियम राज्य सरकार को विवाह के पंजीकरण के संबंध में नियम बनाने में सक्षम बनाता है। धारा 8 की

उपधारा (2) के अन्तर्गत यदि राज्य सरकार की राय है कि ऐसा पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए तो वह ऐसा प्रावधान कर सकती है। ऐसी स्थिति में, इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा।

5. विभिन्न राज्यों में अलग- अलग विवाह अधिनियम लागू हैं। जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर हिंदू विवाह अधिनियम, 1980 सरकार को यह प्रावधान करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है कि पार्टियों (हिंदुओं) को विवाह से संबंधित अपने विवरण इस तरह से दर्ज करने होंगे जो ऐसे विवाहों के प्रमाण की सुविधा के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं। स्वीकृत रूप से कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। जहां तक मुसलमानों का प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर मुस्लिम विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1981 की धारा 3 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद मुसलमानों के बीच अनुबंधित विवाह को निकाह समारोह के समापन की तारीख से 30 दिनों के भीतर यहां दी गई प्रक्रियानुसार पंजीकृत किया जाएगा। हालाँकि, अधिनियम लागू नहीं किया गया है। जहां तक ईसाइयों का प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर ईसाई विवाह और तलाक अधिनियम, 1957 धारा 26 और 37 के अनुसार धर्म मंत्री द्वारा किए गए विवाह और विवाह रजिस्ट्रार द्वारा या उनकी उपस्थिति में किए गए विवाह के पंजीकरण के लिए विवाह के पंजीकरण का प्रावधान करता है।

6. हिंदू अधिनियम की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा बनाया गया है। हिंदू विवाह पंजीकरण नियम, 1973 बनाया गया है जिसे 1973 में अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि नियमों को अभिनिर्धारित करने के बाद विवाह पंजीकृत किए जा रहे हैं।

7. पांडिचेरी में, पांडिचेरी हिंदू विवाह (पंजीकरण) नियम, 1969 दिनांक 7 अप्रैल, 1969 से प्रभाव में आया। पांडिचेरी के सभी उप-रजिस्ट्रारों को विवाह पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए विवाह रजिस्ट्रार के रूप में भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (संक्षेप में "पंजीकरण अधिनियम") की धारा 6 के तहत नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य में, हिंदू अधिनियम की धारा 8 के तहत हरियाणा हिंदू विवाह पंजीकरण नियम, 2001 को अधिसूचित किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य में, हिंदू विवाह पंजीकरण नियम, 1958 को अधिसूचित किया गया है।

8. कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचलित स्थिति इस प्रकार है:

"तदनुसार, हम राज्यों और केंद्र सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने के लिए निर्देश देते हैं-

(1) पंजीकरण की प्रक्रिया आज से तीन महीने के भीतर संबंधित राज्यों द्वारा अधिसूचित की जानी चाहिए। यह मौजूदा नियमों, यदि कोई हो, में संशोधन करके या नए नियम बनाकर किया जा सकता है। हालाँकि,

उक्त नियमों को लागू करने से पहले आम जनता से आपत्तियाँ आमंत्रित की जाएंगी। इस संबंध में, राज्यों द्वारा उचित प्रचार किया जाएगा और आपत्तियां आमंत्रित करने वाले विज्ञापन की तारीख से एक महीने की अवधि के लिए मामले को आपत्तियों के लिए खुला रखा जाएगा। उक्त अवधि की समाप्ति पर, राज्य नियमों को लागू करने के लिए उचित अधिसूचना जारी करेंगे।

(ii) उक्त नियमों के तहत नियुक्त अधिकारी विवाहों को पंजीकृत करने के लिए विधिवत अधिकृत होंगे। आयु, वैवाहिक स्थिति (अविवाहित, तलाकशुदा) स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। विवाह का पंजीकरण न कराने या झूठी घोषणा दाखिल करने के परिणाम का भी उक्त नियमों में प्रावधान किया जाएगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त नियमों का उद्देश्य इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होगा।

(iii) जब भी केंद्र सरकार एक व्यापक क़ानून बनाएगी, उसे जांच के लिए इस न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

(iv) विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्वान अधिवक्ता सुनिश्चित करेंगे कि यहां दिए गए निर्देशों का तुरंत पालन किया जाए।"

9. विद्वान न्याय मित्र ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दायर तथ्यात्मक रिपोर्ट और हलफनामों का संदर्भ दिया है, और इस न्यायालय का ध्यान दिलाया है कि कुछ राज्यों ने हिंदुओं द्वारा विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य किया है, अन्य धर्मों के संबंध में ऐसा नहीं किया

गया है। आदेश दिनांक 23.7.2007 द्वारा पिछले आदेश दिनांक 14.12.2006 के संदर्भ में, यह निर्देशित किया गया था कि विवाह को उन व्यक्तियों के संबंध में अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य बनाया जाना चाहिए जो भारत के नागरिक हैं, भले ही वे विभिन्न धर्मों के हों। अनुपालन का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

10. प्रस्तुत विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा राज्यों ने निर्देश का अनुपालन किया है। जहां तक पश्चिम बंगाल राज्य का संबंध है, राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 22.12.2006 को पश्चिम बंगाल विशेष विवाह नियम, 1969 मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नियम और हिन्दू विवाह अधिनियम में विवाह को अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य बनाने के उद्देश्य से बदलाव किये गये है, ऐसा नहीं करने पर परिणाम का प्रावधान है। यह बताया गया है कि ईसाई और पारसी विवाह लागू कानूनों के अनुसार अनिवार्य पंजीकरण के माध्यम से संपन्न होते हैं। इसलिए इस संबंध में कोई अलग से नियम नहीं बनाए गए हैं। जहां तक अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रश्न है, उनमें से कुछ ने कोई हलफनामा दायर नहीं किया है और दूसरों के द्वारा निर्देशों को हिंदुओं के संबंध में संकलित किया गया है। आदेश दिनांक 24.2.2006 द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालना नहीं की गई है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि जिन राज्यों और

केंद्र शासित प्रदेशों ने दिनांक 14.2.2006 को दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं किया है, वे तुरंत ऐसा करें और किसी भी स्थिति में आज से तीन महीने से अधिक की अवधि में नहीं होना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया गया है।

11. इस मामले को चार महीने बाद रखा जाए।

12. अनुपालन दर्शाने वाले शपथ पत्र अगले सुनवाई की तारीख से पूर्व दाखिल किये जायेंगे।

एस.के.एस.

अनुपालन के लिए सूचीबद्ध.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पुनीत सोनगरा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।